

मैरठ विकास प्राधिकरण

की

59वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 20-4-99

का

कार्यदृग्दा

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 20-4-99

समयः 10-00 बजे प्रातः

स्थानः आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1- श्री एन०ए०विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3- श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4- श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5- श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	विधायक, मेरठ शहर।	सदस्य
6- श्री अमित अग्रवाल	विधायक, मेरठ कैन्ट।	सदस्य
7- श्री महेश सिंहल		सदस्य
8- श्री हाजी निजामुद्दीन	सभासद	सदस्य
9- श्रीमती राखी त्यागी	सभासद	सदस्य
10- श्री राजीव खोकर	सभासद	सदस्य
11- श्री भीम सिंह	सभासद	सदस्य
12- श्री एस०के०जमान	सहयोक्त नियोजक (प्रतिनिधि- आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) गाजियाबाद।	सदस्य
13- श्री वी०के०गुप्ता	सहयोक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।)	सदस्य
14- श्री ऊषाकान्त गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कोषागार (प्रतिनिधि -सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र०शासन, लखनऊ।)	सदस्य
15- श्री जयभगवान वत्स	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, ३०प्र०जलनिगम, लखनऊ।	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 20-4-99 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-4-99 को आयुक्त सभागर, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में प्रातः 10-30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1- श्री एन०ए० विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3- श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4- श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
5- श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	विधायक, मेरठ शहर।	सदस्य
6- श्री अमित अग्रवाल	विधायक, मेरठ कैन्ट।	सदस्य
7- श्री महेश सिंहल		सदस्य
8- श्री हाजी निजामुदीन	सभासद	सदस्य
9- श्रीमती राखी त्यागी	सभासद	सदस्य
10- श्री राजीव खोकर	सभासद	सदस्य
11- श्री भीम सिंह	सभासद	सदस्य
12- श्री एस०के० जमान	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) गांजियाबाद।	सदस्य
13- श्री वी०के० गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।)	सदस्य
14- श्री ऊषाकान्त गुप्ता	संयुक्त निदेशक, कोषागार (प्रतिनिधि- सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।)	सदस्य
15- श्री जयभगवान वत्स	अधीक्षण अभियन्ता जलनिगम, मेरठ। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जलनिगम, लखनऊ।)	सदस्य

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21-12-98
के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

कार्यवृत्त दिनांक 21-12-98 की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21-12-98
में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या ।

अनुपालन विशेष अतिरिक्त मद बोर्ड बैठक दिनांक 30-3-98
ईब्ज चौराहे का सौन्दर्यीकरण

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया । सुझाव दिया गया कि पार्किंग स्पेस पर कोई अतिक्रमण न हो यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये और अतिक्रमण को नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार चैक करा लिया जाये । यह भी निर्णय किया गया कि ट्रान्सफारमर को विस्थापित करने के लिये ३० प्र० राज्य विद्युत परिषद से साथ-साथ निवेदन भी कर दिया जाये ताकि ट्रान्सफारमर हटाने की कार्यवाही भी समय से सुनिश्चित हो सके ।

हापुड अडडे का सौन्दर्यीकरण

निर्णय लिया गया कि हापुड स्टेन्ड के समीप ताँगा स्टेन्ड के शैड की चौड़ाई एक-डेढ चादर कम कर दी जाये और जो स्थान उपलब्ध हो उस पर तारकोल की सड़क बना दी जाये ताकि यातायात के अलावा किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके । डिवार्डर के लिये जिलाधिकारी द्वारा मोदीनगर पैटर्न लागू करने का सुझाव दिया गया ।

बच्चा पार्क का सौन्दर्यीकरण

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर निगम, मेरठ माननीय द्वादश जिला जज के यहाँ लम्बित वाद में तत्काल जबाब दावा दाखिल करें। आवश्यकता पड़ने पर इस बिषय में रिकार्ड की छानबीन भी कर ली जाये।

बागपत चौराहे का सौन्दर्यीकरण

इस चौराहे पर शहीद - ए - आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाये जाने की नगर निगम, मेरठ की कार्य योजना है।

थापर नगर नाले को पाटकर सडक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 2 (बोर्ड बैठक दिनांक 27-8-98)

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 3

प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक परिसम्पत्तियों के एक मुश्त भुगतान पर आबंटन की दशा में देय छूट तथा कब्जा हस्तान्तरण की शर्तों में संशोधन किया जाना।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 4

मेरठ महायोजना में कतिपय मार्गों की निर्धारित/प्रस्तावित चौड़ाई में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन का अवलोकन किया। माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने आश्वासन दिया कि वे इस बिषय में मार्गों के प्रस्तावित

चौडाई के संशोधन के प्रस्ताव को शासन से शीघ्र स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे ।

अनुपालन मद संख्या - 5

मेरठ विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन) उपविधि 1998 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया । बोर्ड ने निर्देश दिया कि 15 मई, 99 तक “स्वैच्छिक शमन योजना” में दाखिल समस्त प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर दिया जाये । उपाध्यक्ष महोदय ने इसका आश्वासन दिया ।

अनुपालन मद संख्या - 6

आरा मशीन, घरेलू रसोई गैस गोदाम, सरकारी कार्यालयों को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्राधिकरण बोर्ड ने निर्देश दिया कि आरा मशीन, घरेलू रसोई गैस गोदाम व सरकारी कार्यालयों को चिन्हित कराकर सर्वे कराने का कार्य जो अब तक पूरा नहीं किया गया है वह दिनांक 20-5-99 तक अवश्य पूरा कर लिया जाये और प्रत्येक दशा में तत्सम्बन्धित प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये ।

अनुपालन मद संख्या - 7

डिफैन्स एन्क्लेब योजना में पूर्व में आबंटित भूखण्डों की दर को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया ।

अनुपालन मद संख्या - 8

प्राधिकरण की डिफैन्स एन्क्लेब कालोनी में “फायर स्टेशन” हेतु निर्दिष्ट भूमि को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया ।

अनुपालन मद संख्या - 9

गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत फेज-II एवं फेज-III में एफ टाईप, जी० टाईप, सी टाईप एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों को जहाँ है जैसा है के आधार पर विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

निर्णय लिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किन्तु अभी तक अनाबंटित भवनों का निस्तारण करने के लिये मेरठ में स्थित समस्त सरकारी विभागाध्यक्षों से यह निवेदन किया जाये कि यदि उनके अधीनस्थ कर्मचारी उक्त सम्पत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं तो वह सम्पत्ति उनको उनके प्रार्थना-पत्रों पर आबंटित की जाये और एक अनुबन्ध मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित आबंटी तथा उसके नियन्त्रक अधिकारी के बीच में किया जाये ताकि कर्मचारी के वेतन से नियमित वसूली होकर सम्पत्ति का मूल्य विकास प्राधिकरण में जमा हो सके । उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में प्रयास करेंगे ।

अनुपालन मद संख्या - 10

खसरा नम्बर 230 रक्बा 1005 वर्गगज भूमि स्थित ग्राम नगलाताशी को अर्जन से मुक्त करने हेतु ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया ।

अनुपालन मद संख्या - 11

इन्डियन आयल कारपोरेशन लि० को पेट्रोलियम पाईप लाईन हेतु वेदव्यासपुरी योजना में भूमि आबंटन के सम्बन्ध में ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया ।

अनुपालन मद संख्या - 12

मेरठ कालेज द्वारा पश्चिमी कचहरी मार्ग पर व्यवसायिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

मेरठ कालेज द्वारा जो दूकाने निर्माण की जानी है उनके बिषय में बोर्ड द्वारा मेरठ कालेज के नियन्त्रक और बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी मेरठ से

अनुरोध किया गया कि इन दूकानों का आबंटन अभी से वहाँ से विस्थापित होने वाले व्यवसायियों को कर दिया जाये। जिलाधिकारी ने इस बिषय में सहमति प्रदान की।

अनुपालन मद संख्या - 13

श्री एम० एस० ग्रोवर, आई० एफ० एस० को शताब्दी नगर योजनान्तर्गत सैक्टर-8 में आबंटित भूखण्ड सं०-1/35 के पक्ष में उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि पर व्याज दिया जाना।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 14

प्राधिकरण की लोहिया नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर खसरा नं०- 360 कुल क्षेत्रफल 558-8 बीघा में से प्रार्थी श्री कटार सिंह पुत्र श्री बाबूराम की 378.12 वर्गगज भूमि के बदल विकास शुल्क लेकर भूमि आबंटित किया जाना।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 15

बेगमपुल के समीप मथुरा पैलेस पर श्री विनोद कुमार व श्री सुवोध कुमार आदि द्वारा प्रथम तल पर कार्यालय भवन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 16

प्राधिकरण कार्यालय हेतु फोटो स्टेट मशीन क्रय करने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 17

अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने निर्णय लिया कि अधिवक्ता श्री डी०डी०शर्मा व श्री पी०डी०शर्मा रुपये 1,000/-प्रति वाद फीस के लिये सहमत न हो तो उन्हें हटाकर दूसरे अधिवक्ता नियुक्त कर लिये जायें। प्राधिकरण बोर्ड के संज्ञान में लाया गया कि प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री एस०के०जैन को रिटेनरशिप का प्रस्ताव विगत बोर्ड बैठक दिनाँक 27-8-98 में उपाध्यक्ष महोदय के विवेक पर छोछा गया था जिसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है। इस बिषय में कार्यवाही की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय ने शीघ्र इसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

अनुपालन मद संख्या - 18

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत बसन्त बिहार सहकारी आवास समिति के पक्ष में भूमि छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 19

श्री अरविन्द सिंह हयांकी, संयुक्त सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की पत्नी के उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 20

श्री मुन्ना, वाहन चालक, मेरठ विकास प्राधिकरण की पत्नी की चिकित्सा में व्यय किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपालन मद संख्या - 21

गंगानगर योजना फेज-I के पाकेट “बी” में “जीवन धारा” नामक न्यास को चिकित्सालय हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

गंगानगर फेज-1 के पाकेट बी में उपलब्ध नर्सिंग होम हेतु आरक्षित भूखण्ड की नीलामी में समुचित सफलता न मिलने के बिषय में विचार विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया कि इस बिषय में अगली नीलामी से पूर्व मेरठ के प्रतिष्ठित चिकित्सकों से अथवा इंडियन मेडीकल एशोसिएशन की मेरठ शाखा से अवश्य सम्पर्क कर लिया जाये ताकि इस भूखण्ड में रुचि लेने वाले नीलामी में भाग ले सके।

अनुपूरक मद संख्या - 1

मेरठ महायोजना - 2001 में निर्दिष्ट “कृषि हरित पट्टी” भूउपयोग के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज” के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपूरक मद संख्या - 2

डा० अमरजीत सिंह जंगी को पल्लवपुरम आवासीय योजना, फेज-द्वितीय के अन्तर्गत आबंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या - एम०एच०/७८ का मूल्य बर्ष - 1988 में निर्धारित दर पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

अनुपूरक मद संख्या - 3

प्राधिकरण की आवासीय योजना में रिक्त सम्पत्ति/निरस्तीकरण के फलस्वरूप उपलब्ध विकसित आवासीय भूखण्डों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में किसी व्यक्ति विशेष को एक से अधिक परिसम्पत्तियाँ क्रय करने की अनुमति दिया जाना।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह मानते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों में जब प्राधिकरण के परिसम्पत्तियों की बिक्री में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है और प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी नाजुक दौर में है, यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष महोदय अपने विवेक से अन्य नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक से अधिक आवासीय भवन अथवा आवासीय भूखण्ड एक आवेदनकर्ता को आबंटित कर सकते हैं। तदनुसार बोर्ड ने उपाध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया। यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार से आबंटित भूखण्डों का उपयोग आवासीय के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में नहीं किया जाये। यह निर्णय केवल उन आवासीय योजनाओं पर लागू होगा जो बिक्री की दृष्टि से अलोकप्रिय हैं। यह भी अपेक्षा की कि यह भी देख लिया जाये कि कोई एक से अधिक सम्पत्ति की बिक्री की आड में प्रापर्टी डीलिंग का कार्य न करे।

मद संख्या - 4

परिसम्पत्ति के आबंटन हेतु एक मुश्त भुगतान की दशा में छूट की अनुमन्यता।

विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21-12-98 के निर्णय को पिछली तिथियों से लागू नहीं किया जा सकता अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 5

ग्राम नगला ताशी कासिमपुर के अन्तर्गत स्थित श्री अमर स्नेह के स्वामित्व की अर्जित भूमि के बदले उन्हें सैनिक बिहार

आवासीय योजना में विकसित भूखण्ड आबंटित किया जाना अथवा उनके द्वारा जमा धनराशि बिना कटौती वापिस किया जाना ।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय लिया कि उपाध्यक्ष नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करें और तदनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति- जनजाति आयोग तथा आबंटी को सूचित करें

मद संख्या - 6

श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री एच०एस०शर्मा निवासी 6/ एच-९१ श्रद्धापुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ को प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना, फेज-प्रथम के अन्तर्गत आबंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं०- 3/124 का मूल्य निर्धारण ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया कि जिस कर्मचारी/अधिकारी की गलती से भवन की कीमत ₹० 2,99,880/- के स्थान पर ₹० 2,12,030/- सूचित की गयी है और प्राधिकरण को इसके कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ा है उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण को हुई आर्थिक क्षति ऐसे कर्मचारी/अधिकारी से वसूली जानी चाहिए । बोर्ड ने इस प्रकरण में दोषी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्राधिकरण बोर्ड की अगली बैठक में अवगत कराने का निर्देश दिया ।

मद संख्या - 7

मेरठ विकास प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों का नामान्तरण परिसम्पत्ति के मूल आबंटी द्वारा किये गये वैध-अवैध संक्रमण के आधार परक्रेता के पक्ष में किया जाना ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी । प्राधिकरण बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस तथ्य के प्रति सहमति व्यक्त कि प्राधिकरण की कतिपय योजाओं में अर्जित भूमि के प्रतिकर की दरों में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अत्यधिक वृद्धि हो जाने और इस कारण आबंटियों पर अतिरिक्त देयता अत्यधिक निर्धारित हो जाने के फलस्वरूप मूल आबंटी बढ़ी हेतु धनराशि अदा करने के बजाय येन-केन प्रकारेण धन वापस लेने

अथवा अपनी परिसम्पत्ति दूसरो को विक्रय कर देने हेतु प्रेरित हुए हैं और इस प्रकार विक्रय उपरान्त वे अन्यत्र चले गये हैं। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के लिये मूल आबंटी को अतिरिक्त देयता के भुगतान हेतु बाध्य करने में अनेकानेक व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जिन मामलों में चूँकि मूल आबंटी द्वारा किये गये पुनर्विक्रय के आधार पर नवीन क्रेता उस सम्पत्ति विशेष के सम्बन्ध में अवशेष देयों का भुगतान तथा अन्य उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने को सहमत हैं, उनमें ऐसे नवीन क्रेता के पक्ष में आबंटित परिसम्पत्ति नामान्तरित करते हुए अवशेष देयों के भुगतान तथा भविष्य में अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उसके साथ अनुबन्ध किया जाना व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत होता है।

उक्त अवधारण के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के मूल आबंटी द्वारा यदि पूर्व निर्धारित/सूचित देयों का भुगतान करते हुए अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त निर्धारित/सूचित देयों का भुगतान करते हुए अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त निर्धारित/सूचित अतिरिक्त देयों यथा मूल्य, फ़ी होल्ड शुल्क आदि का भुगतान किये बिना और पुनर्विक्रय हेते प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिये बिना आबंटित परिसम्पत्ति का पुनर्विक्रय/हस्तान्तरण कर दिया गया हो तो नवीन क्रेता के आवेदन पर इस शर्त के साथ नवीन क्रेता के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जाये कि नवीन क्रेता अतिरिक्त निर्धारित देयता की 10 प्रतिशत धनराशि अपने आवेदन पत्र के साथ जमा कर दे और शेष 90 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण द्वारा नियत की जाने वाली अवधि में अदा करने तथा परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में भविष्य में समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन स्वयं करने बिषयक एक सुस्पष्ट शपथ-पत्र/अनुबन्ध पत्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

मद संख्या - 8

प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में आबंटन परिवर्तन, अतिरिक्त भूमि मूल्य भुगतान तथा कब्जा प्राप्त करने हेतु

नोटिस भेजे जाने/ चौकीदारा शुल्क की देयता सम्बन्धी प्राविधानों में
संशोधन किया जाना ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी और निम्न निर्णय लिये गये :-

(1) आबंटन परिवर्तन की व्यवस्था ।

बिन्दु “अ” एवं “ब” को इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि परिवर्तन शुल्क की पूर्व में प्रचलित दरों का 50 प्रतिशत कर दिया जाये अर्थात् लिये गये निर्णयानुसार अब बिन्दु “अ” के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवन, अन्य आय वर्ग भवन तथा समस्त श्रेणियों के भूखण्ड के लिये क्रमशः 1, 4 तथा 7.5 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा और बिन्दु “ब” के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवन, अन्य आय वर्ग भवन तथा समस्त श्रेणियों के भूखण्ड के क्रमशः 1,5, 10 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क देय होगा ।

बिन्दु “घ” के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किया गया किन्तु विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना में शैक्षिक अथवा नर्सिंग होम प्रयोजन से भूखण्ड आबंटित कराया गया हो और वह उस योजना में आबंटन जारी न रखकर किसी अन्य योजना में आरक्षित शैक्षिक अथवा नर्सिंग होम प्रयोजन से भूखण्ड लेने हेतु यथा प्रक्रिया आवेदन करे/टेन्डर अथवा नीलामी में भाग ले तो ऐसे व्यक्ति/संस्था का नवीन योजना में प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसको किये गये पूर्व आबंटन को निरस्त किये जाने सम्बन्ध उसके अनुरोध को स्वीकार किया जायेगा और उसके द्वारा पूर्व में आबंटन के विरुद्ध जमा की गयी धनराशि बिना कटौती किये नवीन आबंटित होने वाले भूखण्ड के मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी ।

बिन्दु “ल” में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया गया ।

(2) आबंटन के उपरान्त भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाने की दशा में देय अतिरिक्त भूमि मूल्य की दर व्यवस्था ।

विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन विकल्प सं०-२ अनुमोदित किया गया जिसके अनुसार क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत तक वृद्धि होने की दशा में

अतिरिक्त भूमि मूल्य पूर्व/वास्तविक आबंटन दर पर देय होगा और यदि क्षेत्रफल में वृद्धि 25 प्रतिशत से अधिक होती है तो 25 प्रतिशत वृद्धि के लिये पूर्व/वास्तविक आबंटन दर पर तथा 25 प्रतिशत के बाद शेष क्षेत्रफल के लिये अद्यतन प्रचलित सैक्टर दर पर अतिरिक्त भूमि मूल्य देय होगा। बोर्ड द्वारा यहभी निर्णय लिया गया कि यह सुविधा उन्हीं मामलों में अनुमन्य होगी जिन्हें फिलहाल कब्जा नहीं दिया गया है।

(3) आबंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु नोटिस भेजा जाना तथा चौकीदारा शुल्क की देयता।

प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 9

मेरठ विकास प्राधिकरण की बहुमंजिली व्यवसायिक/आवासीय इमारतों के स्वामित्व को हस्तान्तरित करने हेतु लीज रजिस्ट्री के प्रारूप का अनुमोदन।

बोर्ड ने इस बिषय में निर्णय लिया कि यह प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के स्तर का नहीं हैं उपाध्यक्ष विधिक राय लेकर अपने स्तर से लागू करें।

मद संख्या - 10

प्राधिकरण की अलोकप्रिय परिसम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश दिनांक 4 मई, 98 के प्रकाश में मूल-मूल्यांकन पद्धति से किया जाना।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार उपरोक्त योजना 31-12-98 तक लागू थी जिसके अन्तर्गत सन्तोषजनक परिणाम न आने के कारण उपाध्यक्ष के स्तर पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में इसे 31-3-99 तक तथा तदोपरान्त 30-4-99 तक लागू करने का निर्णय लिया गया था। बोर्ड ने इस पर अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि इसे 31-7-99 तक और लागू करके देख लिया जाये और यदि फिर भी आशानुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं तो इन

परिसम्पत्तियों के निस्तारण के लिये उसके बाद आने वाली बोर्ड बैठक में अन्य उपाय भी प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या - 11

मैं सृष्टि लैण्ड एण्ड फार्मेन्स लिंग द्वारा दिनांक 5-6-90 को पल्लवपुरम आवासीय योजना द्वितीय चरण के पाकेट-टी के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड सं०- सी-४ नीलामी में क्रय किये जाने पर उस पर देय धनराशि में विकास कार्य बिलम्ब से होने के कारण ब्याज एवं दण्ड ब्याज में छूट दिया जाना ।

बोर्ड ने यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व इस प्रकरण के समस्त पहलुओं पर गहन जाँच करा ली जाये । इसके लिये बोर्ड की समिति गठित की गयी जिसमें बोर्ड के सदस्य श्री महेश सिंघल, श्री वी०के०गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, ग्राम एवं नगर नियोजन, उ०प्र० मेरठ सम्भाग, मेरठ एवं श्री ऊषा कान्त गुप्ता, संयुक्त निदेषक कोषागार, मेरठ परिक्षेत्र समिति के सदस्य होंगे । यह समिति अपनी आख्या उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को 15 दिन में देगी जो अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाते हुए इस प्रकरण का निस्तारण करेंगे । सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पहलुओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

मद संख्या - 12

वैशाली कालोनी में बाह्य विकास शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

इस प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ । प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि वैशाली कालोनी के पास की अन्य कालोनियाँ जैसे सम्राट पैलेस, फूलबाग, पंचशील आदि से रु० ३/- प्रति वर्गफुट की दर से बाह्य विकास शुल्क वसूल किया जा रहा है । अतः निर्णय लिया गया कि इसी दर से इस कालोनी से भी लिया जाये । बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण सम्बन्धित पक्षों

को सुनकर उपयुक्त विकास शुल्क के पुनः निर्धारण की कार्यवाही अपने स्तर पर करें।

मद संख्या - 13

श्री उदयभान सिंह द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं०- 54/99 में आन्तरिक तथा बाह्य विकास शुल्क नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड ने प्रस्ताव को निरस्त किया।

मद संख्या - 14

वित्तीय वर्ष 1999-2000 हेतु प्रथम तीन माह में होने वाले अनुमानित व्यय की स्वीकृति हेतु।

लेखा अनुदान इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि भू-प्रतिकर में पूँजीगत व्यय रु० 400 लाख तथा ऋणों के प्रतिदान में पूँजीगत व्यय रु० 100 लाख रखा जाये।

मद संख्या - 15

मेरठ महायोजना- 2001 में ग्राम रैसना के खसरा संख्या - 198 से 211 क्षेत्रफल 5.477 हैक्टेर “पार्क एवं खुले स्थाल” भूउपयोग के बराबर के क्षेत्रफल की “आवासीय भूमि को पार्क एवं खुले स्थाल” भूउपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित भू-क्षेत्र को उपयुक्त न मानकर प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया गया कि एतदबिषयक शासन के इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कि “हरित पट्टी” भूउपयोग के परिवर्तन हेतु महायोजना में किसी अन्य भू उपयोग से “हरित पट्टी” में परिवर्तित कर बढ़ाया जाये ताकि नगर में प्रस्तावित “हरित पट्टी” के कुल क्षेत्रों में कमी न हो।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपान्त यह निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर योजना के समीप “हवाई पट्टी” का निर्माण किया गया है जिसके फलस्वरूप सरधना रोड पर महायोजना में दर्शित “हवाई पट्टी” का निर्माण किया गया है जिसके फलस्वरूप सरधना रोड पर

महायोजना में दर्शित “हवाई पट्टी” को “कृषि हरित पट्टी” में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पूर्व में परित कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इसी भू-क्षेत्र में से ही प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित ग्राम रैसना की भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी भूमि के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल का भूउपयोग “कृषि हरित पट्टी” के बजाय “पार्क एवं खुले स्थान” में परिवर्तित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजा जाये। इस सैद्धान्तिक सहमति एवं निर्णय के साथ बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वे “हवाई पट्टी” से सम्बन्धित भूउपयोग क्षेत्र में से उपयुक्त भूमि एवं क्षेत्रफल का चिन्हांकन कर तत्सम्बन्धी भूउपयोग परिवर्तन तथा पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में संशाधन प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ भेजें।

मद संख्या - 16

स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन - द्वितीय संशोधन) उपविधि- 1998 में कतिपय परिष्कारों का समावेश करते हुए अंगीकार किये जाने एवं प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त योजना की सफलता हेतु कार्यों की सराहना की गयी तथा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि योजना को दो माह के लिये पुनः लागू करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये। योजना प्रारम्भ करने से पूर्व योजना का समुचित प्रचार प्रसार किया जाये तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले से उचित वातावरण व अनाधिकृत निर्माण को शमन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व में स्वैच्छिक शमन योजना में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 15 मई, 99 तक पूर्ण करा लिया जाये तथा जिस प्रकरणों को शासन को सन्दर्भित किया जाना है उन्हें तत्काल शासन को प्रेषित किया जाये।

मद संख्या - 17

सुभारती के०के०बी० चैरिटेबल ट्रस्ट के मेरठ-रुडकी बाईपास मार्ग पर “डेन्टल कालेज” के स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में।

सुभारती के०के०बी० चैरिटेबल ट्रस्ट को जारी आयकर अधिनियम की धारा - 80 जी का प्रमाण पत्र अवलोकन करके प्रस्ताव यथाप्रस्तावित रूप में अनुमोदित किया गया।

मद संख्या - 18

स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत बारात घर के निर्माण को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत बारात घर के निर्माण को शमन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बारात घर के अंशकालिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग की छूट प्रदान किये जाने तथा टीन शेड के निर्माण को प्रस्तावानुसार आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए बारात घरों को शमन किये जाने का निर्णय इस प्रतिबन्धके साथ लिया गया कि यह व्यवस्था भविष्य में निर्मित होने वाले बारात घरों के निर्माण पर लागू नहीं होगी।

मद संख्या - 19

रक्षा पुरम आवासीय समिति के ग्राम अम्हेडा आदिपुर के खसरा सं०- 382 व 395 को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। बोर्ड के माननीय सदस्यों ने अवगत कराया कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 30-3-98 में उक्त समिति के पक्ष में भू अर्जन से मुक्ति का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदित किया जा चुका है। अतः उसी निर्णय को लागू रखा जाना चाहिए। उक्त सहकारी आवास समिति के ग्राम अम्हेडा आदिपुर के खसरा सं०- 399 एवं 400 के 60 प्रतिशत भाग को प्राधिकरण की शर्तों पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक

21-12-98 में उक्त समिति के सदस्यों को आबंटित किये जाने हेतु रक्षापुरम योजना में समायोजित करने का निर्णय पहले ही हो चुका है। बोर्ड के सम्मानित सदस्य सर्वश्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री अमित अग्रवाल, श्री महेश सिंघल, मुख्य नगर अधिकारी, मेरठ एवं जिलाधिकारी, मेरठ ने दिनांक 30-3-98 के प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही करने पर बल दिया।

समिति की उपरोक्त भूमि एवं शेष भूमि खसरा सं०-382 एवं 395 ग्राम अम्बेडा आदिपुर का अभी प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री टी० जार्ज जोसेफ ने अपने पत्र सं०-639/एल०एल०ए०ओ० (डी०पी०)/1987 दिनांक 20-12-87 द्वारा शासन से अनुरोध किया था। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि समिति का गठन भू अर्जन के नोटिफिकेशन से बहुत पहले हो चुका है तथा यह नोटिफिकेशन प्रस्ताव जिलाधिकारी जिलाधिकारी ने माध्यम से नहीं भेजा गया तथा नोटिफिकेशन सीधे शासन स्तर से हुआ है, अतः इसकी जानकारी समिति को नहीं हो पायी। इतनी लम्बी समयावधि के उपरान्त भी समिति अपने सदस्यों को अभी तक भूखण्ड उपलब्ध नहीं करा पायी है जबकि विकास विकास प्राधिकरण द्वारा बिना कब्जा प्राप्त किये समिति की भूमि भूमि पर विकास कार्य कराया जा चुका है। समिति अपनी सम्पूर्ण भूमि में से प्राधिकरण की योजनानुसार पार्क एवं सड़कों आदि हेतु भूमि को छोड़कर भूखण्डों को अपने सदस्यों को आबंटित करना चाहती है।

उपरोक्त विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया चूँकि प्राधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक रूप से समिति की भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने हेतु पूर्व में ही दिनांक 30-3-98 की प्राधिकरण बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जा चुका है, राजाशा सं०- 411-पी/ X X X -सात/36(3)/19/66 दिनांक 27-7-1967 में स्पष्ट कहा गया है कि रजिस्टर्ड सोसायटी की भूमि अधिग्रहीत नहीं की जायेगी तथा अधिग्रहण करते समय जिलाधिकारी, मेरठ से सहमति भी नहीं ली गयी थी और सम्बन्धित सहकारी समिति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा बाँछित समस्त शर्तों एवं प्राविधानों को मानने पर अपनी लिखित सहमति पहले ही दे चुकी है, अतः शासनादेश सं०- 1470/9-आ-3-98-20 एल०ए०/92 दिनांक 2-6-98 में बाँछित शर्त सं०- 3, 4 व 5 के आधार पर समिति के अवशेष खसरा सं०- 382 व 395

की कुल भूमि 22574.05 वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लेकर समिति को उसके अपने सदस्यों में आबंटित करने हेतु उपलब्ध कराया जाये। तदनुसार समिति की समस्त भूमि प्राधिकरण की रक्षापुरम योजना में समायोजित की जायेगी।

मद संख्या - 20

परतापुर इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन को आवासीय उपयोग हेतु शताब्दी नगर योजना के सैकटर-1 में भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में।

बोर्ड में प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि शताब्दी नगर योजना में प्राधिकरण को चूँकि समुचित सफलता नहीं मिली है इसलिए परतापुर इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन ने यदि आवासीय उपयोग के लिये बल्कि सेल में भूमि लेने का आफर दिया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बोर्ड ने उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया कि वे परतापुर इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन से वर्ता करके उनके द्वारा प्रस्तावित रेट ₹० 500/- प्रति वर्गमीटर एवं प्राधिकरण द्वारा गणना के आधार पर आये हुए रेट ₹० 568/- प्रति वर्गमीटर का पुनर्परीक्षण कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार कर लें और तदनुसार परतापुर इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन को भूमि की बिक्री कर अगली बोर्ड बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

मद संख्या - 21

शताब्दी नगर योजना के अन्तर्गत अर्जित खसरा सं०- 497 क्षेत्रफल 9-5-0 बीघा ग्राम नगला शेर खाँ स्थित भूमि को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी और प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि गाटा सं०- 497 क्षेत्रफल 9-5-0 बीघा को अर्जन से मुक्त करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर करते हुए और शासन को तदनुसार सूचना भेजी जाये ताकि शासन स्तर पर लम्बित प्रत्यावेदन का निस्तारण हो सके।

मद संख्या - 22

सिविल लाईन्स क्षेत्र में हरनाम दास रोड पर मेरठ महायोजना-2001 में “कार्यालय” भूउपयोग में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और निर्देश दिया गया कि तदनुसार प्रकरण शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायें।

मद संख्या - 23

श्री राम मोहन सक्सैना, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण के पुत्र के उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना।

बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 24

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सा में व्यय किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या - 1

प्राधिकरण द्वारा अर्जित किन्तु वर्तमान में अविकसित/अनुपयोगी भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी। चूँकि यह प्रस्ताव प्राधिकरण की अर्जित किन्तु अनुपयोगी भूमि को अर्जन से मुक्त करने सम्बन्धी विषयों के परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा गठित कमेटी के परीक्षणोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया है और प्राधिकरण के समक्ष विद्यमान वित्तीय संकट तथा प्रशनगत भू-क्षेत्र प्राधिकरण के लिये वर्तमान में अनुपयुक्त हो जाने सम्बन्धी तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया और प्रशनगत भूक्षेत्र (प्रस्ताव के

विवरणनुसार गंगानगर योजनान्तर्गत प्रस्तावित 11 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 50-6-1 बीघा तथा रक्षापुरम योजनान्तर्गत प्रस्तावित 110 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 80-4-4 बीघा) को अर्जन से मुक्त करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

अनुपूरक मद संख्या - 2

विकास शुल्क/ सुदृढीकरण शुल्क एवं स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण क्षेत्रानुसार रखे जाने तथा व्यय किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित अग्रवाल, माननीय विधायक, मेरठ कैन्ट के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

बोर्ड में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क एवं स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को इन्फास्ट्रक्चर फन्ड के अन्तर्गत रखा गया है जिसे मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में व्यय किया जायेगा । मार्गित विधायक श्री अमित अग्रवाल ने अनुरोध किया कि स्वैच्छिक शमन योजना के दौरान मेरठ विकास प्राधिकरण ने कतिपय कालोनियों में कुछ विकास कार्य करने के लिये आश्वासन दिये हैं अतः वे आश्वासन पूरे होने चाहिए । बोर्ड ने निर्णय लिया कि उन कार्यों को पूरा कराने के लिये बोर्ड की भावना से इन्फास्ट्रक्चर फन्ड कमेटी को अवगत करा दिया जाये ।

अनुपूरक मद संख्या - 3

प्राधिकरण की आवासीय योजना में रिक्त सम्पत्ति/निरस्तीकरण के फलस्वरूप उपलब्ध विकसित आवासीय भूखण्डों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया ।

अनुपूरक मद संख्या - 4

स्व० अभिनेन्द्र सिंह राघव, दै०वे० लिपिक की पत्ती श्रीमती पुष्पा राघव को प्राधिकरण में कार्य पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव ।

बोर्ड में चर्चा के दौरान यह बात आयी कि बोर्ड कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है और दै०वे० भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है । अतः इस बिषय में में शासन को प्रकरण सन्दर्भित किया जाये ।

अनुपूरक मद संख्या - 5

प्राधिकरण की आबंटित परिसम्पत्ति के कब्जा हस्तान्तरण की व्यवस्था को भविष्य में भी लागू किया जाना ।

बोर्ड के समक्ष अवगत कराया गया कि बोर्ड बैठक दिनाँक 21-12-98 में मद सं०- 3 के अन्तर्गत बिन्दु-२ के सम्बन्ध में आबंटित परिसम्पत्ति के कब्जे को 20 प्रतिशत मूल्य तथा 12 प्रतिशत फीहोल्ड शुल्क, प्रचलित दर पर पानी, सीवर संयोजन शुल्क तथा तत्समय देय स्टाप लेकर हस्तान्तरण की कार्यवाही के रूप में सरलीकरण का निर्णय किया गया था । दिनाँक 21- 12-98 से दिनाँक 19-4-99 तक 41 आबंटियों को इस संशोधित व्यवस्था के तहत कब्जा हस्तान्तरित किया गया है । दिनाँक 27-8-98 की बोर्ड बैठक और दिनाँक 21-12-98 की बोर्ड बैठक के मध्य में मात्र 3 आबंटियों को ही कब्जा हस्तान्तरित किया गया था । इससे स्पष्ट है कि सरलीकरण की व्यवस्था से काफी अधिक मात्रा में आबंटी प्राधिकरण की योजनाओं के प्रति आकर्षित हुए है । इन उत्साहवर्धक परिणामों की प्रशंसा करते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया कि दिनाँक 21-12-98 की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय को दिनाँक 30-6-99 तक लागू रखा जाये और यदि परिणामों की स्थिति इसी प्रकार उत्साहवर्धक रहती है तो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण इसको अपने स्तर से आगे बढ़ाने के लिये सक्षम होंगे ।

अनुपूरक मद संख्या - 6

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर प्राप्त ऋण पर व्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

चर्चा के दौरान मा० विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने योजना लागू होने के समय जो सुनहरे स्वप्न विकास प्राधिकरणों को दिखाये थे और तदनुसार घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कार्यालयों एवं व्यापार का स्थानान्तरण कराया जायेगा, एक्सप्रैस हाईवे बनाये जायेंगे, डब्ल ट्रैक रेल/रोड बनाये जायेंगे, बिजली 24 घन्टे उपलब्ध रहेगी, पेयजल व सैनीटेशन की उच्च स्तरीय सुविधायें होंगी - ये सब घोषणायें अभी तक मात्र स्वप्न ही हैं। इन घोषणाओं के आधार पर विकास प्राधिकरण ने हड्डियों आदि से वित्त पोषित संस्थाओं से उच्च व्याज दरों पर ऋण लेकर विकास कार्य किये और योजनायें लागू की जिनका कोई भी लाभ विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हो सका। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से निवेदन किया जाये कि वे वित्त पोषित संस्थाओं के चक्रव्यूह से प्राधिकरण को बचाने के लिये ऋणों पर व्याज की देयता से मुक्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही करें।

माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल ने सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार, ३० प्र० सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड पूर्व घोषित इन्फास्ट्रक्चर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये “एन०सी०आर०विकास निधि” की स्थापना करें ताकि विकास कार्यों, जिनमें अब तक काफी बिलम्ब हो चुका है, को समुचित गति प्रदान की जा सके।

अनुपूरक मद संख्या - 7

गंगानगर योजना में “ओल्ड ऐज होम” के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने निर्णय किया कि इस कार्य के लिये व्यवसायिक भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। आवेदक से आवासीय क्षेत्र में विकल्प माँगा जाये। यदि आवेदक शैक्षिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि को इस

उद्देश्य से आबंटित कराना चाहता है तो योजना में शैक्षिक भूखण्ड की अन्यत्र व्यवस्था करके शैक्षिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि भी आबंटित की जा सकती है लेकिन उसकी दर आवासीय भूखण्डों की दर के बराबर ली जाये ।

अनुपूरक मद संख्या - 8

मेरठ महायोजना-2001 के अन्तर्गत ग्राम रोशनपुर डोरली, जिला मेरठ के खसरा नं०- 541 मि० 542, मि० 544, मि० 545मि०, 547 की 1.82 एकड़ भूमि का भूउपयोग “पार्क एवं खुले क्षेत्र” से “आवासीय” में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

मेरठ महायोजना-2001 के अन्तर्गत ग्राम रोशनपुर डोरली के 6073 वर्गमीटर भूमि के “पार्क एवं खुले स्थल” को “आवासीय मध्य घनत्व” भूउपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उक्त भूमि के महायोजना में दर्शित “पार्क एवं खुले स्थल” के बराबर क्षेत्रफल की भूमि को सरधना रोड पर पूर्व में पारित “हवाई पटटी” के स्थान पर “कृषि हरित पटटी” में भूउपयोग में से उपयुक्त भूमि एवं क्षेत्रफल का चिन्हांकन कर मद संख्या-15 पर लिये गये निर्णयानुसार संशोधन प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

अनुपूरक मद संख्या - 9

जीमखाना मैदान स्थित बुढाना गेट पर दूकानों के निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

जीमखाना मैदान में मिनी स्टेडियम के निर्माण को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी । मिनी स्टेडियम के रखरखाव के लिये वित्त पोषण हेतु व्यवसायिक केन्द्र बनाने के लिये भी सहमति दी गयी किन्तु यह निर्देश दिया गया कि नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण से परामर्श करके ऐसा मानचित्र प्रस्तुत करें जिससे न तो यातायात अवरुद्ध हो और मिनी स्टेडियम मैदान के बीच इतना क्षेत्र छूट जाये कि खेलों की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें ।

अनुपूरक मद संख्या - 10

वाहन डिपो स्थित सूरजकुण्ड पर नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रस्तावित दूकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के दौरान मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा वापस लिये जाने के फलस्वरूप किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनुपूरक मद संख्या - 11

नगर निगम को प्राधिकरण द्वारा देय धनराशि के विपरीत सभी वार्डों में सोडियम लाईट लगाया जाना।

बोर्ड के समक्ष अवगत कराया गया कि नगर निगम को प्राधिकरण की ओर से जो देयता है उसका परीक्षण चल रहा है अतः इस बिषय में अभी समुचित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तथापि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20-1-99 की इन्फास्ट्रक्चर फन्ड कमेटी की बैठक में सोडियम लाईट लगाने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से ₹ 5.00 लाख नगर निगम, मेरठ को देने हेतु निर्णय किया गया है जो शीघ्र ही नगर निगम, मेरठ को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

अनुपूरक मद संख्या - 12

श्री मुजम्मिल खाँ, श्री मुदस्सर हसन व श्रीमती मुनिया की लोहिया नगर योजना में अर्जित भूमि के बदले में उन्हें अलग-अलग आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया।

अनुपूरक मद संख्या - 13

प्राधिकरण की डिफैन्स एन्क्लेब योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग भूखण्ड के आबंटी कर्नल शरद को उनके द्वारा जमा की गयी राशि पर छूट दिये जाने का प्रकरण।

बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21-12-98 के मद संख्या - 3 में हुए निर्णय के अनुरूप सम्पूर्ण धनराशि एक माह के अन्तर्गत जमा नहीं की है। अतः उसे कोई भी छूट दिया जाना सम्भव नहीं है।

अनुपूरक मद संख्या - 14

यू० पी० एस० आई० डी० सी० द्वारा औद्योगिक आस्थान उद्योगपुरम, परतापुर, मेरठ पर बाह्य विकास शुल्क रु० 60.00 प्रति वर्गमीटर की दरों पर पुर्नविचार किये जाने के सम्बन्ध में।

विस्तृत चर्चा के बाद औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए बोर्ड ने निर्देश दिया कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण शताब्दी नगर के औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार रु० 60/- प्रति वर्गमीटर से कम बाह्य विकास शुल्क लेने पर अपने स्तर से निर्णय करलें।

रु०/-

सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

रु०/-

उपाध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।

रु०/-

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।